



2026:AHC: 163130-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट टैक्स संख्या - 3369/2026

मैसर्स टैक्स एडवाइजर्स

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: निशांत मिश्रा, ओजस्वी गुप्ता

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 39

माननीय न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह

माननीय न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी

1. याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री ओजस्वी गुप्ता और राजस्व के लिए विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री निमाई दास को सुना गया।
2. प्रस्तुत किया गया संक्षिप्त अभिवेदन यह है कि नैसर्गिक न्याय के नियमों का पूर्णतया खंडन किया गया है। कारण बताओ नोटिस 28.12.2023 को वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए यूपी जीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 73 के अंतर्गत जारी किया गया था। जिससे उत्पन्न होकर, न्यायनिर्णयन आदेश 19.04.2024 को पारित किया गया है। मुख्य कारण बताओ नोटिस के साथ-साथ व्यक्तिगत सुनवाई के लिए तिथि, समय और स्थान हेतु चिह्नित कॉलम के सामने अनुस्मारक नोटिस दिनांक 11.04.2024 में संक्षिप्त रूप 'एनए' (लागू नहीं) वर्णित था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को जानबूझकर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।
3. आक्षेपित आदेश का परिशीलन भी इसके विपरीत स्थापित करने के लिए किसी तथ्य को सामने नहीं लाता है। तीन स्थगन की अनुमति देने वाले विधिक वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध, कार्यवाहियां

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



दूसरे नोटिस के बाद ही समाप्त कर दी गई हैं। तीसरा, यद्यपि उपरोक्त अनुस्मारक नोटिस 11.04.2024 को जारी किया गया था, आक्षेपित आदेश उसके दो दिन बाद 19.04.2024 को पारित किया गया था।

4. परिणामस्वरूप, हम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अभिवेदनों को स्वीकार करने के लिए आश्वस्त हैं कि वर्तमान मामले के तथ्य अपवादात्मक हैं। प्रथम स्थान पर, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि, समय और स्थान कभी संसूचित नहीं किया होगा। दूसरा, इस बात पर ध्यान दिए बिना, अनुस्मारक नोटिस से दो दिनों के भीतर न्यायनिर्णयन आदेश पारित कर दिया गया। पुनः, जानबूझकर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने से इनकार कर दिया गया।

5. जहां तक वर्तमान रिट याचिका दाखिल करने में विलंब का संबंध है, इसे रिट याचिका के प्रस्तर 5 और 23 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है।

6. प्रक्रियात्मक विधि के उल्लंघन (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) पर विचार करते हुए, हम वर्तमान रिट याचिका को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त हैं।

7. इस प्रक्रम पर, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि नोटिस जारी करने और याचिकाकर्ता को संसूचित न की गई व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि से संबंधित तथ्यों का राज्य द्वारा अभिलेख के सामने विवाद नहीं किया जा सकता है।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका को लंबित रखने या इस प्रक्रम पर प्रतिशपथ पत्र मांगने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

9. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका को निम्नलिखित शर्तों पर **निस्तारित** किया जाता है :

(i) आक्षेपित न्यायनिर्णयन आदेश दिनांक 19.04.2024 अपास्त किया जाता है।

(ii) याचिकाकर्ता कारण बताओ नोटिस दिनांक 28.12.2023 का अपना अंतिम उत्तर आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर दाखिल कर सकता है।

(iii) यदि याचिकाकर्ता किसी गवाह से जिरह करने का अवसर प्राप्त करने का दावा करना चाहता है या उन दस्तावेजों की आपूर्ति की मांग करता है जिन पर भरोसा किया गया है आदि, तो

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से उत्तर के साथ ऐसा प्रार्थना पत्र दे सकता है। ऐसा प्रार्थना पत्र, यदि दाखिल किया जाता है, तो उस पर अंतिम सुनवाई के लिए कोई तिथि नियत करने से पहले विचार किया जाएगा और उसे तय किया जाएगा।

(iv) तत्पश्चात, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी कम से कम 15 दिनों के अग्रिम नोटिस के साथ याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई की तिथि नियत और संसूचित कर सकता है।

(v) न्यायनिर्णयन प्राधिकारी तब एक महीने की अतिरिक्त अवधि के भीतर उचित सकारण आदेश पारित कर सकता है ताकि कार्यवाहियां 30.09.2026 को या उससे पहले संपन्न हो सकें।

(न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी) (न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह)

5 अगस्त, 2026

अभिलाष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”